न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **170/2019** दायर दिनाँक **18.07.2019**

वादी		प्रतिवादी
1. जोगेन्द्र सिंह बलारा पुत्र रामूराम बलारा, जाति जाट, निवासी मौलासर तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **15.02.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 1110/336 रकबा 2.01 बीघा वाके मौलासर स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व राजस्थान सरकार के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। नकल खतौनी वाद के साथ पेश है। उक्त खेत खसरा संख्या 1110/336 रकबा 2.01 बीघा सम्पूर्ण वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त का रहा है। लेकिन वादी ने उक्त खेत के 14 बिस्वा भूमि को औधोगिक क्षैत्र के प्रयोजनार्थ श्रीमान के न्यायालय से संपरिवर्तित करवायी तथा इस भूमि में आयरन एण्ड फाईबर मोलडिंग की मशीन लगाना चाहता था और इस औधोगिक प्रयोजनार्थ भूमि में सड़क से आने जा ने के लिये स्वयं की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में से 1.07 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पण कर दिया और इस समर्पण की गयी भूमि के अलग खसरा संख्या 1272/1110 रकबा 1.07 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया, नक्शा ट्रैस में इस दर्शाया गया है जो ट्रैस नक्शा साथ में पेश है। वादी को उसके द्वारा उक्त औधोगिक प्रयोजनार्थ 14 बिस्वा भूमि में किये जाने वाले धन्धे बाबत सरकार द्वारा ऋण नहीं मिला और वादी की स्थिति यह धन्धा करने की नहीं है। जिसके कारण वादी अपनी खातेदारी की भूहिम 1.07 बीघा का समर्पण जो राजस्थान सरकार के नाम से जल्दबाजी में करवा दिया था, उसे पुनः अपने नाम से करवाना चाहता है। जिसका कि वह जायज अधिकारी है। क्योकि वादी को ओधोगिक प्रयोजनार्थ भूमि में आने जाने की जरूरत ही नहीं है। और वादी गरीब व बेराजगार है जो सरकारी सहायता के विश्वास के कारण अपनी भूमि सरकार के हित में सरेन्डर [illegible] बीघा भूमि राजस्थान सरकार के हीत में की सरेन्डर की [illegible] 14 बिस्वा ओधोगिक कुल 2.01 बीघा भूमि [illegible] रेकर्ड में दुरूस्ती करवाना चाहता है, जि[illegible] है। वादी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की शर्त के कारण ही ओधोगिक प्रयोजनार्थ भूमि में आने जाने के लिये 1.07 बीघा भूमि सरेन्ड[illegible] थी, वादी इस जमीन पर कोई धंन्धा न तो किया है, न कर रहा है, बल्कि कृर्षि कार्य में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:15:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

काम में ली जा रही है। वादी भरसक प्रयासो के बावजुद भी सरकारी सहायता नहीं लेने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी पुनः अपने नाम से करवाना चाहता है। तथा खेत खसरा संख्या 1272/1110 व 1110/336 रकबा 2.01 बीघा के नये खसरा संख्या 810 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा संख्या 2009/1810 रकबा 0.17 हैक्टर व खसरा संख्या 811 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा संख्या 812/1810 रकबा 0.10 हैक्टर बन गये है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने इस बाबत अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/21/1907 दिनॉक दिनॉक 30.07.2021 को पेश की है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि खसरा संख्या 812/1810 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि का ओधोगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, तथा वर्तमान में कृर्षि उपयोग में ली जा रही है।

विद्वान अधिवक्ता की सारगर्भित बहस सुनी गयी, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौलासर के वर्तमान खसरा संख्या 810 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा संख्या 2009/1810 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा संख्या 811 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 812/1810 रकबा 0.10 हैक्टर, जो राजस्थान सरकार व औधोगिक प्रयोजनार्थ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, राजस्थान सरकार की खातेदारी की भूमि व औधोगिक प्रयोजनार्थ किस्म को हटाया जाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि को कृर्षि भूमि के रूप में दर्ज कर, वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। डिक्री जारी हो। तहसीलदार रिपोर्ट 30.07.2021 निर्णय का भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉंक **15.02.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:45:12 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **170/2019** दायर दिनाँक **18.07.2019**

वादी		प्रतिवादी
1. जोगेन्द्र सिंह बलारा पुत्र रामूराम बलारा, जाति जाट, निवासी मौलासर तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act.

दिनाँक **15.02.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, आदेश दिया जाता है कि ग्राम मौलासर के वर्तमान खसरा संख्या 810 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा संख्या 2009/1810 रकबा 0.17 हैक्टर, खसरा संख्या 811 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 812/1810 रकबा 0.10 हैक्टर, जो राजस्थान सरकार व औधोगिक प्रयोजनार्थ राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, राजस्थान सरकार की खातेदारी की भूमि व औधोगिक प्रयोजनार्थ किस्म को हटाया जाकर उक्त सम्पूर्ण भूमि को कृषि भूमि के रूप में दर्ज कर, वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावें। डिक्री जारी हो। तहसीलदार रिपोर्ट 30.07.2021 निर्णय का भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.02.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:15:12 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च हर दो फरीक का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner